न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट,मसूरी, जिला–देहरादून।

जमानत प्रार्थना पत्र सं0–18/2026

राज्य प्रति जगहीर सिंह व अन्य।

धारा–305,317(2),331 (4) बी0एन0एस0
थाना मसूरी, जिला–देहरादून।
अपराध संख्या–29/2026

<u>निस्तारण प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र।</u>

<u>दिनांक 27.07.2026</u>

अभियुक्तगण जगहरी व तरणप्रीत की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री संजीव सिंह द्वारा उपरोक्त मामले में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को झूंठा व गलत फंसाया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने उपरोक्त धाराओं का कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से किसी प्रकार का कोई चोरी का माल बरामद नहीं हुआ है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण उक्त मामले में अपनी जमानत कराना चाहता है, जिसके लिए वह जिम्मेदार जमानती देने को तैयार है। आदि कथन करते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गई।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र पर आपत्ति प्रस्तुत कर मुख्यरूप से कथन किया गया कि अभियुक्त उक्त मामले में न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का अजमानतीय अपराध है। अतः जमानत का घोर विरोध किया जाता है।

सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

प्रपत्रों के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्तगण पर स्टार मोबाईल दुकान का ताला तोड़कर, दुकान में घुसकर मोबाईल चोरी करने का आरोप है, जिन्हें मौके पर पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया, अभियुक्तगण के कब्जे से एक चॉकलेट कलर (गहरे भुरे) रंग का एक बैग बरामद हुआ, जिसमें 1–आईटेल एम 2 हीरा आई0एम0ई0आई0 नम्बर 354993390224366, 354993391162227, की–पैड के दो फोन, 2– सोनी एक्सपिरिया रिपेरिंग फोन, 3–एम0आई0 0 नोट 10 टी0 रिपेरिंग फोन, 4–नोकियो की–पैड फोन,

5—इनटेक्स की—पैड फोन, 6—लिनोवा रिपेरिंग वाला फोन, 7— सैमसंग जे07 रिपेरिंग फोन, 8— 20 वॉट चार्जर आई0फोन0, 9— सैमसंग ए050 रिपेरिंग वाला फोन, 10— एक सी0 2 सी0 केवल एवं एडेपटर एवं दो टूटे हुये ताले हरिसन कम्पनी तथा एक लोहे का हथौड़ा बरामद, होने का भी अभियोग है। अभियुक्तगण को आज ही गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है एवं मामले में अन्वेषण गतिमान है। अभियुक्तगण पर लगाया गया अभियोग अजमानतीय व गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। अतः अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। तदनुसार अभियुक्तगण जगहीर सिंह व तरणप्रीत सिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता को आदेश की एक प्रति निःशुल्क दी जाये।

दिनांक—27.07.2026

(मनोज सिंह राणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, मसूरी,
जिला—देहरादून।